



नगर विकास न्यास, कोटा

90-A

प्र० १

(नियम-४(१) देखिए)

अनुज्ञा और आबंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास न्यास, कोटा राजस्थान।

फोटो

विषय :— गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन के लिए आवेदन

श्रीमान्,

मैं/हम, गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसकी विशिष्टयां निम्नानुसार है :—

1.	आवेदक के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	
2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया (क) ग्राम और तहसील का नाम (ख) खसरा सं. और क्षेत्र	
3.	आवेदन के साथ संलग्नक	
	(क) सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत/स्टाम्पित मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य-व्यक्तियों की ओर से फाइल किया जाता है।	
	(ख) रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति (फर्म/संस्था/कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	(ग) संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	

	(घ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	
	(ङ) जहां कहीं अपेक्षित हो, भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति।	
	(च) स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे, विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरे।	
	(छ) प्ररूप-2 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शपथपत्र	
	(ज) प्ररूप-3 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
	(झ) जमाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)	
	(ञ) अभिन्यास योजना और मास्टर योजना, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण	
	(ट) खसरा मानचित्र का अनुरेख	
	(ठ) अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में स्थल योजनां)	
	(ड) की-प्लान	
	(ढ) सर्वेक्षण नक्शा	
	(ण) प्ररूप-4 में क्षेत्र संगणना के ब्यौरे।	
	(त) खातेदार/आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जायेगा।	
5.	क्या भूखण्ड सीमा में कोई एचटी/एलटी लाइन या ट्रान्सफार्मर है।	
6.	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है।	
7.	क्या आवेदित भूमि के संबंध में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।	
8.	क्या भूमि अधिशेष घोषित की गयी है या जिसके लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय गा ख के अधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।	

9.	क्या भूमि देवता, देवस्थान विभाग, कोई लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है।	
10.	रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सड़क से दूरी	
11.	(क) लम्बित न्यायालय मामले (यदि कोई हों) (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
12.	आवेदित भूमि की पहुंच सड़क की चौड़ाई।	
13.	मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सड़क क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निःशुल्क अभ्यर्पित किया जाना है।	
14.	(प्ररूप-4 के अनुसार) शुद्ध क्षेत्र जिसके लिए अभिन्यास योजना जारी की जानी है।	
15.	संदेय प्रीमियम प्रभारों की दर	
16.	चालान की सं. और तारीख और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन संदाय करने के लिए रकम (चालान की प्रति संलग्न की जाये)	
17.	कोई अन्य सुसंगत सूचना	
18.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
19.	पृष्ठों की कुल संख्या	
20.	मद सं. 3 और 16 में वर्णित संलग्नकों के साथ आवेदन की सॉट कॉपी	
21.	आवेदन की तारीख	

घोषणा

1. मैं / हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्ट्यां मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
2. यह घोषणा की जाती है कि शापथ पत्र, क्षातिपृति बंधपत्र और उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रयोजन (गैर कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत है। मैं / हम उक्त गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के लिए मेरे / हमारे अधिकारों को निर्धारित करने का / के इच्छुक हूँ / हैं। अतः मुझे / हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करें।

3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा चाही गयी है, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

संपर्क संख्याक
और ई-मेल पता

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

प्राप्ति

आवेदक ने दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक को रजिस्टर में सं पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेजों संबंधी जानकारी, यदि कोई हो, 15 दिन के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेब-साईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
आवेदक

प्ररूप-4

(नियम-4(1)(vii) देखिए)

क्षेत्र संगणना रूपविधान

क. एकल पट्टा मामले

(क) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है :-

क्र0स0	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	कुल क्षेत्र		
2.	सेक्टर सड़क / मास्टर योजना सड़क / राजमार्ग इत्यादि के अधीन क्षेत्र (आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
3.	सेक्टर / मास्टर योजना का पांच प्रतिशत की दर से सुविधा क्षेत्र (यदि लागू हो) (आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
	शुद्ध भूखण्ड क्षेत्र (1 + 2 + 3)		

ख. स्कीम भूखण्ड क्षेत्र के ब्यौरे

(ख) कुल भूखण्ड की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र0स0	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	आवासिक / औद्योगिक / संस्थानिक / फार्म हाउस / रिसोर्ट या कोई अन्य विशेष टाउनशिप भूखण्ड क्षेत्र		
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र (अनौपचारिक सेक्टर)		
3.	वाणिज्यिक क्षेत्र सामान्य		
4.	सेक्टर सड़कों को सम्मिलित करते हुए सड़क के अधीन क्षेत्र		
5.	पार्क / खुले स्थान / रोपण गलियारा		
6.	सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र		
कुल क्षेत्र			

ग. स्कीम के लिए भूखण्डों के ब्यौरे

क्र0स0	ब्लॉक सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में क्षेत्र	वर्गगज में
कुल				

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—2
(नियम—4(1) देखिए)
शपथ पत्र

फोटो

मैं/हम श्री पुत्र श्री आयु
निवासी ग्राम तहसील जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/लेते हैं और घोषणा करता हूं/करते हैं :—

- 1— कि मैं/हम निम्नानुसार रूप में वर्णित भूमि का/के खातेदार हूं/हैं और आवेदन प्ररूप में गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए आवेदित ऐसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समस्त विलंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र0स0	भूमि के व्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

- 2— कि मैं/हम, सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार और आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करवाने का/के इच्छुक हूं/हैं।
 3— कि मैं/हम इसके द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का संदाय करने के लिए पाबंद रहूंगा/रहेंगे।
 4— कि भूखण्ड/भूमि या भवन का कोई विक्रय, स्थानीय प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदित भूमि की अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायेगा।
 5— कि आवेदकों द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर जारी समस्त निदेशों और आदेशों का पालन किया जायेगा।
 6— कि आवेदित भूमि केवल दी गयी अनुज्ञा के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार विकसित की जायेगी।
 7— कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
 8— कि मैं/हम, इसके द्वारा सुसंगत भवन उप—विधियों, विनियमों, स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नियमों के उपबन्धों का अनुसरण और पालन करूंगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गया :

अभिसाक्षी

प्र०ल०प—३
 (नियम—४(१) देखिए)
 क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/हम श्री पुत्र श्री ग्राम

आयु निवासी

तहसील जिला मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/लेते हैं और क्षतिपूर्ति करता हूं/करते हैं :—

(1) कि मैं/हम, इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—के अधीन गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का / के खातेदार हूं/हैं।

क्र०स०	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

- (2) कि मैं/हम, मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंजूर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को पाबंद करता हूं/हैं।
- (3) कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन के कारण मामले में पैदा हुए किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप से कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं को पाबंद करता हूं/हैं।
- (4) कि स्थानीय प्राधिकारी को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम को निरस्त करने और अनुज्ञा को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।